यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, गरुड, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, गरुड, बागेश्वर के माह 05/2012 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.09.2017 से 16.09.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, गरुड़, बागेश्वर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2012-13 | - | - | 99.63 | 98.93 | 3.08 | 2.58 | - | - |
| 2013-14 | - | - | 147.07 | 128.7 | 7.95 | 7.32 | - | - |
| 2014-15 | - | - | 154.16 | 148.34 | 37.61 | 6.11 | - | - |
| 2015-16 | - | - | 185.50 | 159.48 | 6.30 | 5.47 | - | - |
| 2016-17 | - | - | 216.53 | 164.59 | 6.25 | 6.06 | - | - |
| 2017-18 (08/17 तक) | - | - | 163.45 | 88.19 | 5.67 | 1.70 | - | - |

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः- शून्य

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

| |
|---|
| मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद् |
| प्रमुख सचिव (राजस्व) |
| सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त |
| आयुक्त कुमाऊं मण्डल |
| अपर सचिव (राजस्व) |
| जिलाधिकारी |
| अपर जिलाधिकारी |
| उपजिलाधिकारी |
| तहसीलदार |
| नायब तहसीलदार |

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, गरुड़, बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2014, 06/2015, 09/2016 एवं 06/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

# शून्य

# भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 ₹ 13600 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-सं.वि.-नित-2-97, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए ₹ 500 व जीप के लिए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए एवं शासनादेश संख्याः 84/XXVII(7)50(06)/2017, दिनांक 07 जून, 2017 के अनुसार मई, 2017 से ₹ 2000 की कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, गरुड़, बागेश्वर के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनराशि ₹ में)

| अधिकारी का नाम | पदनाम | अवधि | | वसूली अप्राप्त *कुल वसूली |
|---|---|---|---|---|
| | | कब से | कब तक | |
| कु0 खुशबू आर्या | प्रभारी तहसीलदार | 10/14 | 02/16 | 17*400=₹6800 |
| श्री बहादुर सिंह कुमन्टा | प्रभारी तहसीलदार | 03/16 | 11/16 | 09*400=₹3600 |
| श्री सुन्दर सिंह* | उपजिलाधिकारी | 07/17 | 08/17 | 02*1600=₹3200 |
| योग | | | | ₹ 13600 |

श्री सुन्दर सिंह, उपजिलाधिकारी से माह मई, जुलाई व अगस्त, 2017 में ₹ 400 की कटौती की गई, जबकि ₹ 2000 की कटौती की जानी चाहिए थी। अतः ₹1600 की प्रतिमाह अतिरिक्त कटौती की जानी चाहिए।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारियों से राजकीय वाहन कटौती करने के उपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी.वी.आर. की उचित दर से कटौती पूर्व में ही की जानी चाहिए थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-II 'ब'

प्रस्तर-02:- सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न होने के कारण रु 67.2 लाख का अनियमित वितरण।

गृह मंत्रालय भारत सरकार (आपदा प्रबंधन प्रयाग )के शासनादेश स0-32-7/2014-NDM-I दि0 8/4/2015 जो कि 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी है के अनुसार क्षेतिग्रस्त भवन का अधिक्रत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा होना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2015 से चालू वित्तीय 2017-18 मे लेखा परीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक तीक्षण, पूर्ण एव आशिक क्षतिग्रस्त भवनो हेतु ग्रह अनुदान निम्नवत था।

| वर्ष | गृह अनुदान | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूर्ण क्षतिग्रस्त | | तीक्षण | | आंशिक | | योग |
| | लाभार्थी की संख्या | वितरित धनराशि | लाभार्थी की संख्या | वितरित धनराशि | लाभार्थी की संख्या | वितरित धनराशि | |
| 2015-16 | 02 | 2,03,800 | 14 | 14,26,600 | 33 | 1,71,600 | 18,02,000 |
| 2016-17 | 02 | 2,03,800 | 52 | 33,81,900 | 100 | 52,000 | 41,05,700 |
| 2017-18 | - | - | 07 | 7,13,300 | 19 | 98,800 | 8,12,100 |
| कुल योग | | | | | | | 67,19,800 |

उपरोक्त सभी प्रकरणो मे भवन के निमार्ण का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नही किया गया था जो कि शासनादेश के अनुसार निर्देशों के विरुद्ध था ।

इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर उत्तर दिया कि भविष्य मे सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा ।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के सज्ञान मे लाया जाता है ।

## भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | प्रस्तर का विवरण |
|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा | | | |

## भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, गरुड, बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यरत समय अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कब से | कब तक |
| 1. | श्री तीर्थ पाल सिंह | उपजिलाधिकारी | 13.10.2011 | 12.06.2012 |
| 2. | श्री कैलाश सिंह टोलिया | उपजिलाधिकारी | 13.06.2012 | 19.07.2012 |
| 3. | श्री फिचाराम चौहान | उपजिलाधिकारी | 20.07.2012 | 13.08.2012 |
| 4. | श्री तीर्थ पाल सिंह | उपजिलाधिकारी | 14.08.2012 | 18.12.2012 |
| 5. | श्री फिचाराम चौहान | उपजिलाधिकारी | 18.12.2012 | 31.03.2013 |
| 6. | श्री अनिल चन्याल | उपजिलाधिकारी | 01.04.2013 | 30.09.2013 |
| 7. | श्री फिचाराम चौहान | उपजिलाधिकारी | 01.10.2013 | 23.10.2013 |
| 8. | श्री चन्दन सिंह डोबाल | उपजिलाधिकारी | 24.10.2013 | 29.07.2015 |
| 9. | श्री सुरेन्द्र सिंह जंगपांगी | उपजिलाधिकारी | 30.07.2015 | 30.11.2015 |
| 10. | श्री फिचाराम चौहान | उपजिलाधिकारी | 01.12.2015 | 17.01.2016 |
| 11. | श्री रवीन्द्र सिंह | उपजिलाधिकारी | 18.01.2016 | 22.12.2016 |
| 12. | श्री एन.एस.नगन्याल | उपजिलाधिकारी | 22.12.2016 | 24.03.2017 |
| 13. | श्रीमती रिंकू बिष्ट | उपजिलाधिकारी | 25.03.2017 | 28.06.2017 |
| 14. | श्री सुन्दर सिंह | उपजिलाधिकारी | 29.06.2017 | वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, गरुड, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र